राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–274 / 2019

ओम प्रकाश गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा, राज.।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2019
आदेश की दिनांक : 10.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 04.09.1988 को हुई। इसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 01.10.1989 को सेवा से पृथक कर दिया। अपीलार्थी ने सेवा पृथककरण के विरूद्ध श्रम न्यायालय कोटा के समक्ष एलसीआर नं. 317 / 99 प्रस्तुत किया। श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2003 को अपीलार्थी के पक्ष में अवार्ड पारित कर 25 प्रतिशत बेक वेजेज व समस्त परिणामिक लाभों सहित पुनः सेवा में नियोजित किये जाने का अवार्ड पारित किया। उक्त अवार्ड के विरूद्ध विपक्षी संख्या–2 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई जो एकल पीठ द्वारा खारिज कर दी गई। एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध विपक्षी ने खण्ड पीठ में अपील संख्या 03 / 2004 मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम ओमप्रकाश प्रस्तुत की जो खण्ड पीठ द्वारा 28.8.2009 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार श्रम न्यायालय का निर्णय अखण्डित रहा। अपीलार्थी को विपक्षी ने सेवा में नहीं लिया तो अपीलार्थी ने पुनः एक याचिका संख्या 16087 / 2009 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2011 को स्वीकार की गई एवं प्रार्थी को निर्देश दिया कि वह विपक्षी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे एवं विपक्षी को

निर्देश दिया कि वह उक्त प्रतिवेदन निस्तारण करें। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 11.12.2012 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी को पुनः नौकरी पर लिया। पुनः सेवा में नियोजित होने के बाद अपीलार्थी निरन्तर सेवा में कार्यरत था, लेकिन दिनांक 14.11.2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी को 2 वर्ष का ट्रेनी मानते हुए अपीलार्थी का वेतन संशोधित कर दिया एवं उक्त वेतन संशोधन के अनुसरण में विपक्षी संख्या–2 द्वारा विवादित आदेश दिनांक 08.02.2019 के द्वारा अपीलार्थी के वेतन से 4,53,822/– रूपये कटौती किये जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

1. ''यह कि अप्रार्थी द्वारा जारी विवादित आदेश दिनांक 14.11.2018 एवं 08.02.2019 (प्रदर्श–5 व 6) को अपास्त फरमाया जावे एवं अप्रार्थी को निर्देश फरमाया जावे कि वे संशोधित नियम 2009 के तहत स्क्रीनिंग कर वर्ष 2009 से ही अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति प्रदान करे एवं समस्त एरियर मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करें।
2. यह कि कोई अनुतोष जो विद्वान अधिकरण बहक अपीलार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करना उचित एवं न्यायोचित समझे वह भी पारित फरमाई जावे।
3. यह कि अपीलार्थी को अप्रार्थीगण से अपील का हर्जा खर्चा दिलवाये जाने के आदेश फरमावे।''

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सिविल रिट याचिका संख्या 16087/2009 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 20.05.2011 को पारित निर्णय में अपीलार्थी के अभ्योवदन पर विचार कर उचित आदेश पारित किये जाने हैतु आदेशित किया गया, जिसकी अनुपालना मे जिला परिषद कोटा की बैठक 29.11.2012 में पारित निर्णय के अनुसरण मे अपीलार्थी को वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त नियुक्ति मे वर्ष 2004 के पेंशन नियम लागू होने तथा वाहन चालक के समस्त परिलाभ 29.11.2012 की बैठक तिथी से देय किये जाने की शर्त अंकित है। कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन कमांक 7(2) DOP/A–11/2005 दिनांक 20.01.2006 के अनुसार नोटिफिकेशन की तिथि के बाद किसी भी सेवा के कर्मचारी की किसी भी पद पर नियुक्ति/नियमितिकरण प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में किया जाकर उसे प्रोबेशन अवधि मे निर्धारित फिक्स मानदेय ही दिये जाने के प्रावधानों के तहत् सहवन से अपीलार्थी को 29.11.2012 से वेतन श्रृखंला में महंगाई भत्ता, मकान किराया व वेतन वृद्वियां स्वीकृत कर दी गई, जिसमें सुधार कर संशोधित वेतन किया जाकर आधिक्य वेतन भुगतान की वसुली

संबधित कार्यवाही आदेश दिनांक 14.11.2018 तथा कार्यालय जिला परिषद कोटा द्वारा जारी पत्र 7428 दिनांक 08.02.2019 से की गई, जो कि राज्य सरकार के प्रावधानो के अनुरूप पुर्णतया विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की उक्त अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया।

6. अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.09.1988 होना बताया है। अपीलार्थी द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2003 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 04.09.1989 अंकित है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.09.1989 होना मानी जाती है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी को सेवा में पृथक किया गया था, जिस आदेश को अपीलार्थी ने श्रम न्यायालय, कोटा के समक्ष चुनौती दी थी। श्रम न्यायालय कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 02.03.2003 के द्वारा अपीलार्थी का दिनांक 01.10.1990 से सेवा से पृथक करना उचित व वैध नहीं माना और सेवाएं निरंतरता सहित सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने के आदेश पारित कियें। श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एकल पीठ व उसके बाद खण्डपीठ में चुनौती दी गई, जहां पर राज्य सरकार असफल रही। इसके पश्चात अपीलार्थी ने पुनः एक रिट याचिका संख्या 16087/2009 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.05.2011 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित करने के आदेश दिये। उसके उपरांत अपीलार्थी को जिला परिषद, कोटा ने आदेश दिनांक 11.12.2012 के द्वारा वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान की। अपीलार्थी को जो नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 11.12.2012 के द्वारा प्रदान की गई, वो नियमित नियुक्ति श्रम न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व की नियुक्ति की निरंतरता में ही मानी जायेगी और ऐसी नियुक्ति के उपरांत अपीलार्थी की नवीन नियुक्ति होना मानते हुए परिवीक्षा काल में होना माना जाना उचित नहीं है, क्योंकि श्रम न्यायालय ने अपीलार्थी की सेवाएं निरंतरता के साथ सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने के आदेश दिये थे। वेतन के संबंध में यह भी आदेश दिये थे कि प्रार्थी श्रमिक 01.01.1990 से 21.04.1994 तक का पिछला कोई वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा और दिनांक 22.04.1994 से पिछले वेतन के रूप में 25 प्रतिशत वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रार्थी द्वारा प्राप्त की गई

नोटिस वेतन एवं छटनी मुआवजे की राशि 1350/– उसके पिछले वेतन में समायोजित होगी। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी को जो पुनः नियुक्ति दी गई, उसके पश्चात अपीलार्थी को परिवीक्षाकाल में होना मानकर फिक्शेसन मानदेय दिया जाना उचित नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2018 (अनुलग्नक–5) एवं आदेश दिनांक 08.02.2019 (अनुलग्नक–6) अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से उक्त आदेशों की पालना में कोई वसुली की कार्यवाही नहीं की जायें। यदि अपीलार्थी से कोई वसुली की कार्यवाही की गई है तो उसे 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अपीलार्थी को पुनः लौटाई जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)